न्यायालय भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–04/2018

चन्द्रशेखर महतो वगैरह

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
02.06.18	उपरोक्त अपील वाद अपीलार्थी चन्द्रशेखर महतो वो निर्मल महतो, पिता–स्व० सदानन्द महतो, सा०–बिचका टोली, बुण्डू डाकघर–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा पारित आदेश नामांतरण मुकदमा सं०–176/2017–18 दिनांक–27/12/2017 के विरूद्ध दायर किया गया है जो निम्नलिखित भूमि से संबंधित है।	

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
डमारी	बुण्डू	16	53	3	06 डि०

अपीलार्थी ने उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज करने हेतु अंचल अधिकारी, बुण्डू को आदेश करने का अनुरोध किया है।

अपीलार्थी द्वारा निबंधित विक्रय पट्टा सं०–413, अंचल अधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित अस्वीकृत आदेश नामांतरण मुकदमा सं०–176/2017–18 दिनांक–27/12/2017 की सच्ची प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी साथ ही उसकी छायाप्रति आवेदन के साथ समर्पित की गयी। समर्पित आवेदन के साथ संलग्न निबंधित विक्रय पट्टा सं०–413 की छायाप्रति, एवं अंचल अधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित अस्वीकृत आदेश नामांतरण मुकदमा सं०–176/2017–18 दिनांक–27/12/2017 का अवलोकन किया।

उक्त अस्वीकृत आदेश के अवलोकन पर पाया कि अंचल अधिकारी, बुण्डू ने सुनवाई की तिथि को आवेदक द्वारा भूमि से संबंधित मूल कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया तदोपरांत नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकनोपरांत अपील को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, बुण्डू को निदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी से संबंधित भूमि का मूल कागजात प्राप्त ~~करना व~~ दाखिल खारिज करना सुनिश्चित करेंगे। 333(ii)/CO 11.06.18

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 02/06/18
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

(हस्ताक्षर) 02/06/18
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।